इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 320] भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 नवम्बर 2024—कार्तिक 29, शक 1946

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्रमांक एफ-23-08/2015/पैंतीस : मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 (क्रमांक 6 सन् 2004) की धारा 11 के साथ पठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश गौवश वध प्रतिषेध नियम 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात -

संशोधन

उक्त नियमों में -

(1) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात:-

"5 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिहरण - धारा 4, 5, 6, 6क एवं 6ख के किसी उल्लंघन की दशा में, पुलिस किसी यान, गौवंश और गौमांस को अभिग्रहीत करने के लिए सशक्त होगी और जिला मजिस्ट्रेट अपराध के विचारण की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को प्रारूप-छह में संसूचना देगा, ऐसे यान, गौवंश और गौमांस का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 103 के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित रीति में अधिहरण करेगा, अर्थात -

(क) यान को कब्जे में लेगा,

(ख) वह पशु चिकित्सा विभाग को गौवंश और गौवंश मांस को अभिरक्षा में लेने हेतु सूचना देगा,

(ग) गौवंश मांस का पशु चिकित्सा विभाग द्वारा ऐसी रीति में, जैसी कि वह उचित समझे, निपटान किया जाएगा।"

(2) प्रारूप-पांच के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप जोडा जाए, अर्थात -

"प्रारूप-छह

(नियम 5 देखिए)

कार्यालय कलेक्टर, जिला .... मध्यप्रदेश

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रति,

न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुलिस थाना ....
जिला ....
मध्यप्रदेश

विषय- अधिहरण के लिए कार्यवाहियां प्रारंभ करने की सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में।

(1) अभिगृहीत यान का विवरण

(क) यान का प्रकार ....पंजीयन क्रमांक ....
(ख) यान के स्वामी का नाम .... पिता का नाम ....
(ग) पता ....

(2) अभिगृहीत गौवंश का विवरण

(क) गौवंश की कुल संख्या ....
(ख) गौवंश का प्रकार ....

नर (संख्या)	मादा (संख्या)

(3) अभिगृहीत गौमांस की मात्रा (किलोग्राम में) ....

उपरोक्तानुसार अभिगृहीत यान/गौवंश/गौमांस मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम, 2012 के नियम 5 अधीन अभिरक्षा में लिए जाने हेतु प्रभारी पुलिस अधिकारी पुलिस थाना ..../पशुपालन एवं डेयरी विभाग .... के अधीन सुपुर्द किया गया है।

अत: मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध, अधिनियम, 2004 (क्रमांक 6 सन् 2004) की धारा 11 की उप-धारा (5) एवं (6) एवं मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम, 2012 के नियम 5 के अधीन अधिहरण के लिए कार्यवाहि प्रारंभ करने के लिए सूचना प्रेषित है।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला .... मध्यप्रदेश
दिनांक ....

पृष्ठांकन क्रमांक
प्रतिलिपि -

1. संचालक, पशुपालन एवं डेयरी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपायुक्त, जिला ....मध्यप्रदेश।
3. उप संचालक, लाक अभियोजन, जिला ....मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक , पशुपालन एवं डेयरी जिला ....मध्यप्रदेश।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ....मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी पुलिस अधिकारी, पुलिस थाना ....मध्यप्रदेश।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला .... मध्यप्रदेश
दिनांक ....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण भटनागर, उपसचिव.

Bhopal, the 20th November 2024

F-23-08/2015/35,In exercise of the powers conferred by section 17 read with section 11 of the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyan, 2004 (No. 6 of 2004), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Rules ,2012, namely:-

AMENDMENTS

Inthesaid rules:-

(1) For rule 5,the following rule shall be substituted, namely:-

"5. **Confiscation by District Magistrate :-** In case of any violation of section 4, 5, 6, 6A and 6B, the police shall be empowered to seize any vehicle, cow Progeny and beef and the District Magistrate shall intimate to the Court having jurisdiction to try the offences mentioned in Form-VI, shall confiscate the provisions of section 103 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) In the following manner, namely:-

(a) Shall take possession of the vehicle;

(b) Shall intimate the Veterinary Department to take in custody of the cow progeny and beef;

(c) The beef of cow progeny shall be disposed of by the Veterinary Department by such procedure, as it may deem fit.".

(2) After Form-V, the following Form shall be added, namely :-

"FORM-VI

(see rule 5)

Office of the Collector, District.. Madhya Pradesh

No................. Date.................

To,

The Judicial Magistrate,
Police Station................
District...........................
Madhya Pradesh.

Subject-Regarding submission of notice for initiation of proceedings for confiscation.

----00----

(1) Details of seized vehicle
(A) Type of vehicle..................................Registration No..
(B) Name of vehicle's owner..............................Father's Name...
(C) Address...

(2) Details of seized cow progeny
(A) Total number of cow progeny...
(B) Type of cow progeny...

Male(number)	Female(number)

(3) Quantity of seized beef (in kilograms)..

As per above seized vehicle/cow progeny/beef, has been handed over to the In-charge Police Officer, Police Station/ Animal Husbandry and Dairy Department under..................for taking custody under rule 5 of the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Rules, 2012.

Hence, notice is sent tinitiate proceedings for confiscation under sub-section (5) and (6) of section 11 of the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004 (No. 6 of 2004) and rule 5 of the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Rules, 2012.

District Magistrate
District...................Madhya Pradesh

Endorsement No. **Date ....**

Copy to:-

1. Director, Animal Husbandry and Dairying, Madhya Pradesh, Bhopal.
2. Superintendent of Police, Deputy Commissioner of Police, District......................Madhya Pradesh.
3. Deputy Director, Public Prosecution, District.................................Madhya Pradesh.
4. Deputy Director, Animal Husbandry and Dairying, District....................................Madhya Pradesh.
5. Sub-Divisional Officer (Revenue)...............................Madhya Pradesh.
6. In-charge Police Officer, Police Station... .... Madhya Pradesh.

District Magistrate
District....................Madhya Pradesh

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
TARUN BHATNAGAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.